<u>प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 34/2023)</u>

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 6 अप्रैल 2023 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से, भादूविप्रा से "अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) / 5जी के लिए पहचान की गई आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी" पर अनुशंसाए प्रदान करने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त आवृत्ति बैंड, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, लागू आरक्षित मूल्य, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी से जुड़ी शर्तों पर अनुशंसाए प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया था।

3. इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 27.09.2021 और 23.11.2021 के पत्रों के माध्यम से दूरसंचार विभाग से अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के संबंध में जानकारी/ स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में, दूरसंचार विभाग ने पत्र दिनांक 27.11.2021 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि भादूविप्रा द्वारा मांगी गई अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करने में कुछ समय लगेगा; इसलिए, 5जी रोल-आउट में देरी से बचने के लिए, भादूविप्रा दूरसंचार विभाग के दिनांक 13.09.2021 और 23.09.2021 के संदर्भ में संदर्भित अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दों पर परामर्श/ सिफारिशों को प्रदान करने में आगे बढ़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि दूरसंचार विभाग से सूचना प्राप्त होने पर अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं से संबंधित मुद्दों को अलग से लिया जा सकता है। इसके बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 11.04.2022 को

'आईएमटी/5जी के लिए पहचाने गए आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर सरकार को अपनी अनुशंसाए प्रदान की।

4. इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने पत्र दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा दिनांक 27.09.2021 और 23.11.2021 के पत्रों के माध्यम से मांगी गई अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की। आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से कुछ अतिरिक्त मुद्दों पर अनुशंसाए प्रदान करने का अनुरोध किया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क) भादूविप्रा, परामर्श के माध्यम से, अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं की मांग का आकलन कर सकता है और तदनुसार नीलामी के लिए प्रत्येक बैंड में स्पेक्ट्रम की मात्रा पर अनुशंसाए प्रदान कर सकता है।

ख) विशिष्ट आधार पर अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की नीलामी की परिकल्पना की गई है। भादूविप्रा कई सेवा लाइसेंसधारियों के बीच नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम को साझा करने की व्यवहार्यता और प्रक्रिया का पता लगा सकता है। भादूविप्रा उपग्रह नेटवर्क और स्थलीय नेटवर्क के बीच नीलाम किए गए आवृति बैंड को साझा करने, साझा करने के मानदंड और साझा करने और सह-अस्तित्व के लिए उचित हस्तक्षेप शमन तकनीक पर अनुशंसाए प्रदान कर सकता है।

ग) आवृति बैंड 27.5-28.5 GHz (आईएमटी के लिए पहचाना गया) और 28.5-29.5 GHz (कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क के लिए अध्ययन किया जा रहा है) में, भादूविप्रा नीलाम किए गए आवृति बैंड को साझा करने के लिए क्रियाविधि की अनुशंसा कर सकता है जिसमें आईएमटी/सीएनपीएन और सैटेलाइट दोनों- आधारित सेवाएं (उपयोगकर्ता टर्मिनल और गेटवे दोनों) लचीले तरीके से प्रदान की जा सकती हैं।

घ) चूंकि सेवा प्रदाताओं को उपयोगकर्ता लिंक के साथ-साथ फीडर लिंक दोनों में स्पेक्ट्रम की आवश्यकता हो सकती है, भादूविप्रा हितधारकों से उनकी राय ले सकता है और उचित नीलामी पद्धति की अनुशंसा कर सकता है ताकि सफल बोली लगाने वाले को उपयोगकर्ता लिंक (लचीले तौर में आईएमटी के साथ साझा) के साथ-साथ फीडर लिंक के लिए स्पेक्ट्रम मिले।

ङ) इसके अलावा, भादूविप्रा से अनुरोध है कि नवीनतम आईटीयू-आर रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक/तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयोजन के लिए उचित समझी जाने वाली अन्य अनुशंसाए प्रदान करें।

5. तत्पश्चात्, भादूविप्रा ने दिनांक 19.10.2022 को दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र के माध्यम से और जानकारी/ स्पष्टीकरण मांगी जिसमें दूरसंचार विभाग से अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया था की, किस प्रकार की लाइसेंस प्राप्त सेवाओं के लिए, नीलामी के माध्यम से अंतरिक्ष-आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके उत्तर में, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16.12.2022 के पत्र के माध्यम से बताया कि भादूविप्रा विस्तृत जांच के बाद प्रत्येक अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए उपयुक्त अनुशंसाए प्रदान कर सकता है। इस तरह, वर्तमान परामर्श पत्र में, भादूविप्रा ने अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए प्रासंगिक सभी स्पेक्ट्रम बैंडों पर विचार किया है, जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा इंगित किया गया है।

6. इस संबंध में, "अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन" पर एक परामर्श पत्र, हितधारकों से टिप्पणियों / विचारों को प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in.) पर रखा गया है। इस परामर्श पत्र में हितधारकों के विचारार्थ विशिष्ट मुद्दे उठाए गए हैं। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 4 मई 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 18 मई 2023 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

7. टिप्पणियाँ/ प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण / जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा